राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/2130 जयपुर दिनांक 22/5/19

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अध्याय–1 के नियम–3 का उपनियम–(iii) के नीचे वर्णित– "आवेदक को आय का घोषणा पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रारूप एस एस पी–1 का भाग– iv एवं भाग–v में निर्धारित प्रक्रियानुसार देना होगा" को विलोपित किया जाता है। अर्थात् सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन के समय आवेदक से आय प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त कर अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

नियमों में निर्धारित आय संबंधी घोषणा आवेदन प्रपत्र में ही सम्मिलित की जायेगी जिसमें आवेदक के द्वारा नियमों में निर्धारित समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 60000/– से कम है अथवा अधिक है, का हां अथवा नहीं में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमैट्रिक आधार पर प्ररतुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान्य माना जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगे। आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/2131–42 जयपुर दिनांक 22/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/कृषि विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
6. जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।

C:\Users\Hp\Downloads\Ladda Ji (2).Doc 244

Scanned by CamScanner

7. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऐसे लाभार्थियों की जानकारी कर विभागीय डाटाबेस में भामाशाह डाटाहब के माध्यम से अद्यतन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
11. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner